

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 402]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर 2016—आश्विन 5, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2016

फा. 12-वि.निर्वा.-2016-चार-राज्यसभा-233.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 100/रा.स.-म.प्र./3/2016(2) दिनांक 26 सितम्बर 2016 का शुद्धि पत्र क्रमांक 100/रा.स.-म.प्र./3/2016(2) दिनांक 27 सितम्बर 2016 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर, 2016—आश्विन 5, 1938 (शक)

शुद्धि-पत्र

सं. 100/रा.स.-म.प्र./3/2016(2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 26 सितम्बर, 2016 को प्रकाशित आयोग की अधिसूचना सं. 100/रा.स.-म.प्र./3/2016(2) में दिए गए सारणी के स्तम्भ (1) रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी में विद्यमान प्रविष्टि “प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय” के स्थान पर प्रविष्टि “प्रभारी प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा” पढ़ा जाए.

आदेश से,

हस्ता./-

(वरिन्द्र कुमार)

प्रमुख सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.